No.I-27011/2/2017-Coord.
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110 001
Dated:19.09.2017

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of August, 2017 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

All Members of the Council of Ministers.

Copy, with enclosures, forwarded to:

1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Cabinet Secretariat, New Delhi.
3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of August, 2017"

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF AUGUST, 2017

(1) **Notifications:-**

(i) The Ministry has notified National Company Law Appellate Tribunal (Amendment) Rules, 2017. Through this amendment, Rule 63 has been revised to allow appearance of an officer, not below the rank of Junior Time Scale or Company Prosecutor authorized by Central Government, the Regional Director or Registrar of Companies or Official Liquidator before the NCLAT, in line with NCLT Rules, 2016. (G.S.R. 1061(E), dated 23.08.2017).

(ii) The Ministry vide notification no. 2751(E) dated 24.08.2017 has commenced the provisions of sub-sections (8), (9) and (10) of Section 212 of the Companies Act, 2013 conferring powers of arrest on Director/Additional Director/Assistant Director of Serious Fraud Investigation Office (SFIO).The Companies (Arrests in connection with Investigation by Serious Fraud Investigation Office) Rules, 2017 prescribing procedure for arrest by the officers of SFIO have also been notified on 24.08.2017 vide notification number 1062(E).

(iii) The Ministry has issued two notifications viz No. S.O. 2561(E) dated 10.08.2017 exempting the scheme of "Amalgamation of Regional Rural Banks" carried out under provisions of Regional Rural Banks Act, 1976 for a period of five years and No.S.O.2828(E) dated 30.08.2017 exempting the reconstitution, transfer of whole or any part thereof & amalgamation of nationalized banks under the Banking Companies Act, 1970 and the Banking Companies Act, 1980 for a period of ten years, from the application of provisions of Sections 5 & 6 of Competition Act, 2002.

The notifications have been issued in National interest as the Government has taken up the scheme of "Amalgamation of Regional Rural Banks" for achieving the objectives of minimizing overhead expenses, optimizing the use of technology, enhancing the capital base and area of operation and also serving their target areas better and the consolidation among the nationalized banks with the aim to create bigger, stronger and competitive banks and to meet capital needs of India's growing economy.

(2) **Action under Section 248 for striking off/deregistration of Companies:** Total 30897 companies were struck off during August making it a total of 2,09,032 companies stuck off in the ongoing drive for action under Section 248 of the Companies Act, 2013 [the Act].

(3) **Restrictions on the bank operations of Struck Off Companies:** The Matter was taken with Indian Banks association [IBA] on 01.08.2017 followed by requests to RBI & DFS for urgent action by the Banks. This has, final, resulted in setting up a system in place, sharing of data etc to be completed in September, 2017.

(4) **Disqualification of Directors under Section 164(2)(a) of the Act including the disqualified directors of struck off companies:** A Standard Operating Process [SOP] was finalised for flagging the Director Identification Number [DIN] of such persons and they shall not be allowed to be appointed as directors during the disqualification period of 5 years. The action in batches shall be taken to be completed in September, 2017.

(5) **Cleaning and Updating of Corporate Registry:** The following actions were taken during the month:

(a) The ROCs had been doing the reconciliation of status of companies with other Regulators on the basis of the lists taken from RBI, SEBI, IRDA etc.

(b) Secretary, CA wrote a DO to Secretary Department of Posts [DoP] seeking DOP to be an agency for conducting Census of Companies.

(c) Followed by this, a meeting was held with DoP Officers. DoP has agreed to conduct a Pilot in one PIN Code of Delhi for Proof of Concept [PoC] in which the financials and other details were given.

(d) A meeting of the Steering Committee was also held wherein officers of DoP were also present. After detailed deliberations, the questionnaire to be answered during Census has been finalised. It was decided to explore to get a Mobile App developed for ease, transparency and structured capturing of Census responses and results for verification of the registered offices of the companies.

सं. आई-27011/2/2017-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 19.09.2017

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अगस्त, 2017 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाषः 23389622

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव; उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अगस्त, 2017 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)
भारत सरकार का अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

माह अगस्त 2017 के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां

(1) **अधिसूचनाएं :-**

(i) मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (संशोधन) नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं।

इस संशोधन के जरिए नियम 63 को संशोधित किया है जिससे अधिकारी जो कनिष्ठ समय वेतन मान के स्तर के नीचे का न हो या केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक या कंपनी रजिस्ट्रार या शासकीय समापक द्वारा प्राधिकृत कंपनी अभियोजक एनसीएलटी के सम्मुख एनसीएलटी नियम 2016 (सा.का.नि. 1061(अ) दिनांक 23.8.2017) के अनुसार उपस्थित हो सके।

(ii) मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 2751(अ) दिनांक 24.8.2017 के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 की उपधारा (8), (9) और (10) के प्रावधान लागू कर दिए हैं जिससे गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआई) के निदेशक/अपर निदेशक/सहायक निदेशक को गिरफ्तार करने की शक्तियां दी गई है। कंपनी (गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा जांच के संबंध में गिरफ्तारी) नियम, 2017 जो एसएफआईओ अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया को विहित करते हैं, को अधिसूचना संख्या 1062(अ) दिनांक 24.8.2017 के तहत अधिसूचित कर दिए गए हैं।

(iii) मंत्रालय ने दो अधिसूचनाएं अर्थात् का.आ. 2561(अ) दिनांक 10.8.2017 जो "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आमेलन" की स्कीम, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई थी, से छूट और सा.का. 2828(अ) दिनांक 30.8.2017 जिसमें बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पुनर्गठन या पूर्ण या आंशिक हस्तांतरण या राष्ट्रीयकृत बैंकों के आमेलन को 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों के लागू होने से छूट दी गई है, जारी की थी।

अधिसूचनाएं राष्ट्रीय हित में जारी की गई थी क्योंकि सरकार ने "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आमेलन" की योजना को ऊपरी व्यय को न्यूनतम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने, तकनीक का अधिकतम उपयोग करने, पूंजी आधार और कार्यात्मक क्षेत्र बढ़ाने और उनके लक्षित क्षेत्रों को उत्तम रूप से सेवा देने और राष्ट्रीय बैंकों के मध्य समेकन इस उद्देश्य के साथ की वृहद, मजबूत और प्रतिस्पर्धात्मक बैंक सृजित हो और भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की पूंजी आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

(2) **धारा 248 के अन्तर्गत कंपनियों का नाम हटाना/अपंजीकृत करना** : अगस्त माह के दौरान कुल 30897 कंपनियों को हटाया गया जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 [अधिनियम] की धारा 248 के अन्तर्गत जारी अभियान में हटाई गई कंपनियों का योग 2,09,032 हो गया है।

(3) **हटाई गई कंपनियों पर बैंक परिचालन करने पर प्रतिबंध** : मामले को भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के साथ 1-8-2017 को उठाया गया, जिसके बाद आरबीआई और डीएफएस से बैंक द्वारा अतिआवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया। इसका अंतिम परिणाम प्रणाली की स्थापना, आंकड़ों को साझा करना इत्यादि सितंबर 2017 में पूरा किए जाना है।

(4) **अधिनियम की धारा 164(2)(क) के अंतर्गत निदेशकों की अयोग्यता जिसमें नाम हटाए गए कंपनियों के अयोग्य निदेशक भी शामिल हैं** : एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसोपी) को अंतिम रूप दिया गया था जिसमें ऐसे व्यक्तियों के निदेशक पहचान संख्या डिन को चिह्नित करने को अंतिम रूप दिया गया था और वे 5 वर्ष की अयोग्यता अवधि के दौरान उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्ति की अनुमति नहीं होगी। चरणों में कार्रवाई को सितंबर 2017 में पूरा किया जाएगा।

(5) **कारपोरेट रजिस्ट्री की सफाई एवं अद्यतन करना** : निम्नलिखित कारवाइयां माह के दौरान की गई :

(क) कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनियों की स्थिति का अन्य नियामकों के साथ आरबीआई, सेबी, आईआरडीए इत्यादि से ली गई सूची के आधार पर मिलान कर रहे हैं।

(ख) सचिव, कारपोरेट कार्य ने डाक विभाग से कंपनियों की गणना करने का अनुरोध करते हुए सचिव, डाक विभाग को एक अ.शा.पत्र लिखा।

(ग) इसके पश्चात, डाक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। डीओपी दिल्ली में संकल्पना के प्रमाण के रूप में एक पिन कोड में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए सहमति दी जिसमें वित्तीय और अन्य विवरण दिए गए थे।

(घ) संचालन समिति की एक बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमें डीओपी के अधिकारी भी उपस्थित थे। विस्तृत विचार विमर्श के बाद गणना के दौरान उत्तर दिए जाने हेतु प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि सुगमता, पारदर्शिता और गणना प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए और कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों के सत्यापन के परिणामों के लिए एक मोबाइल ऐप की संभावना का पता लगाया जाए ।